पत्रांकः–07 / शि०को०–23–03 / 2026...2450

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, भा.प्र.से.,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बिहार।

पटना, दिनांक– 19 / 08 / 2026

विषय : **ई–शिक्षाकोश पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–1608, दिनांक 08.05.2026 एवं 1759, दिनांक 29.05.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का सन्दर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन/प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन/समानुपातीकरण की प्रक्रिया के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा प्रोफाइल अद्यतन नहीं होने संबंधी सूचना दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–1759, दिनांक 29.05.2026 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, इसके बावजूद सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। साथ ही संदर्भित पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि संबंधित शिक्षक अपने प्रोफाइल को अद्यतन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा सत्यापन के उपरांत प्रोफाइल अद्यतन की कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त के आलोक में शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:–

1. यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल के उप शीर्ष 1 (पंजीकरण), 2 (पदस्थापन का विवरण) एवं 3 (व्यक्तिगत सूचना) में कोई त्रुटि है, तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा सत्यापन के उपरांत इसे अद्यतन किया जायेगा।

2. शिक्षक के प्रोफाइल के उप शीर्ष (पंजीकरण) के तहत नियुक्ति का प्रकार (क्र०स० 10), शिक्षक का प्रकार (क्र०स० 11), शिक्षक का उप प्रकार (क्र०स० 12) का अद्यतीकरण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा, इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के शिक्षकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

3. ऐसे शिक्षक, जिन्होंने समायोजन/समानुपातीकरण एवं पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है, के प्रोफाइल में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनो तरह के

स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही इन शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन किया जा सकेगा।

4. जिला द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में कोई त्रुटि शेष नहीं रहे। साथ ही यह शिक्षक का भी दायित्व होगा कि ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रविष्टि प्रोफाइल की स्वयं जाँच करे लें एवं यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होता है, तो अविलम्ब संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सुधार हेतु लिखित आवेदन समर्पित करें।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ऐसे शिक्षक, जिनके प्रोफाइल में कोई त्रुटि है, को दिनांक 28.08.2026 तक अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / शि०को०–23–03 / 2026 2450 / पटना, दिनांक 19 / 08 / 2026

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक 1719 दिनांक 19/08/26

प्रतिलिपि :- सभी जिला कार्यक्रम पदा०, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने BRC में एक काउंटर चिन्हित करते हुये ऐसे सभी शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करते हुये जन्मतिथि में सुधार, योगदान तिथि में सुधार अन्यान्य मामलों का अलग-अलग फोल्डर बनाकर 23/08/26 को जिला कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में त्रुटि शेष रहता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदा० एवं शिक्षकों की होगी।

प्रतिलिपि :- सभी शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधानशिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/8/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा